## राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

## अपील संख्या-15/2016/जोधपुर

मैसर्स हीना प्रिन्ट्स, एफ— 15, सी—1, एम.आई.ए. II, फेस बासनी, जोधपुर बनाम सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, वार्ड—III, वृत्त—सी, जोधपुर

...अपीलार्थी

प्रत्यर्थी

<u>एकलपीठ</u> श्री ओमकार सिंह आशिया, सदस्य

उपस्थित : :

श्री महावीर जैन अभिभाषक श्री डी.पी.ओझा, उप–राजकीय अभिभाषक

....अपीलार्थी की ओर से

...प्रत्यर्थी की ओर से

दिनांक : 23.04.2018

## निर्णय

- 1. यह अपील अपीलार्थी द्वारा उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर, जोंधपुर प्रथम, जोंधपुर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) अपील संख्या 05/आरवैट/जेयूसी/2015—16/ में पारित आदेश दिनांक 14.10.2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। जिसके द्वारा सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, घट—तृतीय, वृत्त—सी, जोंधपुर (जिसे आगे "कर निर्धारण अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा वर्ष 2012—13 में पारित आदेश दिनांक 18.06.2015 को अपास्त किया गया है।
- 2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी कपड़े की डाइंग एवं प्रिटिंग का कार्य करता है तथा उसके द्वारा वर्ष 2012—13 हेतु वार्षिक विवरण पत्र वेट 10ए तो विलम्ब से प्रस्तुत कर दिया गया था परन्तु त्रैमासिक विवरण पत्र प्रस्तुत नहीं किये गये जिसके लिये इन अप्रस्तुत चारों तिमाहियों के विवरण पत्रों के संबंध में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा धारा 24(4) के अन्तर्गत प्रति रिटर्न शास्ति रूपये 5,000/— एवं वार्षिक विवरण पत्र की देरी के लिये विलम्ब शुक्क रूपये 1,000/— अभिनिर्धारित किया गया। इस आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई जो अपीलीय अधिकारी के आदेश दिनांक 14.10.2015 द्वारा आंशिक स्वीकार की जाकर प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया गया। उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील कर बोर्ड के समक्ष अधिनियम की धारा 83 के तहत प्रस्तुत की गई है।

3

- 3. अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने बहस के दौरान कथन किया कि अपीलार्थी कपड़े की डाइंग प्रिटिंग का कार्य करता है तथा टैक्सटाइल्स कर मुक्त होने से उसका वार्षिक विवरण पत्र वैट 11 पेश करने का ही दायित्व है। उन्होंने यह भी कथन किया कि दिनांक 14.07.2014 के बाद किये गये कर निर्धारण आदेश में अप्रस्तुत विवरण पत्रों के लिये शास्ति आरोपण किये जाने के पूर्व व्यवहारी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया जाना अनिवार्य है, परन्तु इस प्रकरण में चारों तिमाहियों के अप्रस्तुत विवरण पत्रों को प्रस्तुत करने के लिये एवं अप्रस्तुत विवरण पत्रों के संबंध में शास्ति आरोपण से पूर्व व्यवहारी को कोई नोटिस नहीं दिया गया, जिससे आरोपित शास्ति अविधिक है। अपने तर्कों के समर्थन में उन्होंने राजस्थान कर बोर्ड द्वारा पारित निर्णय अपील संख्या 1174/2013/उदयपुर वी.एस. बियरिंग्स प्रा.लि. बनाम सहायक आयुक्त निर्णय दिनांक 05.01.2014 एवं अपील संख्या 2225 से 2227/2011/बाडमेर मैसर्स खत्री मंघाराम बनाम सी.टी.ओ. निर्णय दिनांक 22.01.2013 प्रस्तुत कर व्यवहारी की अपील स्वीकार करने का निवेदन किया।
- 4. राजस्व की ओर से विद्वान उपराजकीय अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपीलीय अधिकारी ने समस्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए विधिक आदेश पारित किया है। उन्होंने अपीलीय अधिकारी के आदेश की पुष्टि करते हुए व्यवहारी की अपील अस्वीकार करने का निवेदन किया।
- 5. उभय पक्षों की बहस सुनने एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। सर्वप्रथम अपीलार्थी के इस कथन पर विचार किया जाना आवश्यक है कि वह करमुक्त माल—"कपड़े" की डाइंग प्रिंटिंग का कार्य करता है अतः उसकी बैट 11 प्रस्तुत करने की ही बाध्यता है न कि त्रैमासिक रिटर्न एवं प्रपत्र बैट 10ए में वार्षिक विवरण पत्र। इस संबंध में उल्लेखनीय है कि नियम 19(4) के अनुसार बिक्री विवरण पत्र फार्म बैट 11 में प्रस्तुत करने का दायित्व यथानिर्दिष्ट अन्य कुछ श्रेणियों के व्यवहारियों के अलावा ऐसे व्यवहारियों का भी होता है जो कि पूर्णतः करमुक्त माल में व्यवहार करते हों (who exclusively deals in goods which are exempted under the Act)। चूंकि प्रस्तुत प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा यद्यपि करमुक्त माल 'टैक्सटाइल्स' की डाइंग एवं प्रिंटिंग का कार्य किया जाता है परन्तु इसके निर्माण में कच्चे माल के रूप में वह कर योग्य माल का उपयोग करता है, अतः अपीलार्थी का प्रकरण नियम 19(4)(b)(i) से आच्छादित नहीं होने के कारण उसका दायित्व त्रैमासिक बिक्री विवरण प्रस्तुत करने का है। इस संबंध में नियम 19(4)(b), जैसा कि वर्ष 2012—13 हेतु प्रचलन में रहा, निम्नानुसार उद्धरित है:—



## 19. Returns .-

- (1) ......
- (4) Return in Form VAT-11 shall be submitted, within ninety days of the end of the relevant year, by the following class of dealers:
- (a) who has opted for payment of tax under sub-section (2) of section 3; or

(b) who exclusively deals in goods:

- (i) which are exempted under the Act; or
- (ii) on which option to pay tax in lump sum has been exercised under section 5; or (iii) which are taxable at first point in the series of sales and the goods have suffered tax at the said first point; or
- (iv) which are taxable at maximum retail price under sub-section (7) of section (7) of section 4 and such goods have suffered lax at maximum retail price under the said sub-section; or
- (v) which are exempted under sub-section(3) of section 8 on the condition of payment of exemption fee; or

(vi) as may be notified by the Commissioner

- 6. उक्त वर्णित नियम के अवलोकन से स्पष्ट है कि बिक्री विवरण पत्र वैट 11 उन्हीं व्यवहारियों द्वारा दिया जाना होता है जो कि पूर्णतः करमुक्त माल में व्यवहार करते हों, (who exclusively deals in goods which are exempted under the Act) जिसका आशय यह है कि व्यवहारी की खरीद एवं बिक्री दोनों करमुक्त माल की हों। चूंकि प्रस्तुत प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा करयोग्य माल क्रय कर इसे टैक्सटाइल्स के डाइंग एवं प्रिंटिंग में काम में लिया जाता है, अतः उसका विवरण पत्र संबंधी दायित्व वैट 11 प्रस्तुत करने का न होकर त्रैमासिक विवरण पत्र वैट 10 तथा वार्षिक विवरण पत्र वैट 10ए का है।
- 7. जहां तक अपीलीय आदेश में विलम्ब शुल्क की गणना नियम 19A(iii) के अनुसार करने हेतु प्रकरण प्रतिप्रेषित किये जाने का प्रश्न है, इस सम्बन्ध में उल्लेखनीय है कि राजस्थान कर बोर्ड की वृहदपीठ द्वारा सुनील एण्ड ब्रदर्स बनाम सीटीओ अपील संख्या 1063/2015/टोंक के प्रकरण में दिये गये निर्णय दिनांक 07.03.2018 में यह विधि स्थापित की गई है कि विलम्ब शुल्क केवल विलम्ब से प्रस्तुत रिटर्न के सम्बन्ध में ही आरोपणीय है। वर्ष 2011—12 एवं आगे के वर्षों में रिटर्न प्रस्तुत नहीं होने की दशा में नियम 19ए के अतंर्गत विलम्ब शुल्क आरोपण नहीं किया जा सकता है, अपितु दिनांक 15.04.2011 से 31.07.2014 के बीच की अवधि में यथानिर्दिष्ट रिटर्न प्रस्तुत नहीं होने की दशा में धारा 64 के अंतर्गत शास्ति आरोपित की जा सकेगी। इस निर्णय में विलम्ब शुल्क आरोपण के संबंध में विधि अभिनिर्धारित की गई है (Law has been laid down) जिसके मुख्य अंश निम्नानुसार उद्धरित किये जाते हैं :—
  - "1. For assessment year 2011-12 onwards the late fee is payable for late filing of returns only and in case the late fee has not been deposited by the dealers the assessing authority while finalizing the assessment, are competent to calculate and levy the late fee. As the 'fee' is not in the category of penalty therefore, no notice is required to be issued prior to levy of late fee.

3 \_

- 2. In case of non-filing of returns between the period 15.04.2011 and 31.07.2014, since no specific provision existed for levy of late fees for non-filers, the late fee is not leviable. As the section 58 was deleted on 15.04.2011 and sub section (4) of section 24 was substituted on 31.07.2014 for levy of penalty for non-filing or returns, therefore, in such cases, the only recourse available to the assessing authorities was to levy penalty u/s 64 of the Act, categorized as "penalty for other violations".
- 8. उपरोक्त वर्णित न्याय दृष्टान्त के परिप्रेक्ष्य में प्रकरण पुनर्निर्धारण हेतु कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया जाकर निर्देश दिये जाते हैं कि उक्त संदर्भित निर्णय में सुस्थापित की गई विधि (Law as laid down) के अनुरूप विलम्ब से प्रस्तुत/अप्रस्तुत रिटर्न्स के संबंध में विधिसम्मत कार्यवाही कर आदेश पारित करे। इस संबंध में अपीलार्थी को निर्देशित किया जाता है कि वह कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष दिनांक 18.06.2018 को उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करे।
- 9. फलतः अपीलीय आदेश को इस सीमा तक अपास्त करते हुए प्रकरण प्रतिप्रेषित किये जाने की पुष्टि की जाती है तथा अपील आंशिक स्वीकार की जाती है।

10. निर्णय सुनाया गया।

23.04, 2018

(ओमकार सिंह आशिया) सदस्य